

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

श्री रतनलाल रावल पुत्र श्री परमाशंकर
जाति रावल
निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 49 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03.08.2021	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 04.06.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत रोहिडा के विरुद्ध दिनांक 20.07.2020, 20.10.2020 एवं 22.12.2020 को प्रार्थना पत्र पेश किए जिस पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 04.06.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत रोहिडा के विरुद्ध दिनांक 20.07.2020, 20.10.2020 एवं 22.12.2020 को प्रार्थना पत्र पेश किए जिस पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। चूंकि उक्त सूचना जिला पसिद सिरौही से सम्बन्धित होने के कारण अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 302-303 दिनांक 04.06.2021 द्वारा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पसिद सिरौही को मूल आवेदन स्थानान्तरित किया गया। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पसिद सिरौही के अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरौही नहीं है। अतः अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही